थाना चिकासी

थाना चिकासी **दिनांक 24.11.2026**

थाना चिकासी पुलिस द्वारा- सत्र परीक्षण स0 706/23 धारा 135 विधुत अधिनियम से सम्बन्धि वारण्टी अभियुक्त की गिरफ्तारी के सम्बन्ध में।

पुलिस कार्यवाही-

आज दिनांक 24.11.2026 को थाना चिकासी पुलिस द्वारा सत्र परीक्षण स0- 706/23 धारा- 135 विधुत अधिनियम से सम्बन्धित माननीय न्यायालय विशेष न्यायाधीश(आ0ब)अधिनियम जनपद हमीरपुर द्वारा जारी वारण्ट के अनुपालन में वारंटी अभियुक्त शिवनारायण पुत्र बाबूराम उम्र करीब 63 वर्ष निवासी ग्राम रहंक थाना चिकासी जनपद हमीरपुर को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया है।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

शिवनारायण पुत्र बाबूराम उम्र करीब 63 वर्ष निवासी ग्राम रहंक थाना चिकासी जनपद हमीरपुर

गिरफ्तारी का स्थान-

ग्राम रंहक थाना चिकासी जनपद हमीरपुर

पुलिस टीम-

1.उ0नि0 सन्तप्रकाश

2.का0 अवनीश कुमार यादव

